1	2	3
16.	60-70000 डी डब्ल्यू टी का 1 बल्क कैरियर्स (एन बी)	108.50
17.	1 एम० एस० बी० (एस० एच०)	108.50
18.	30000 (बी० डब्ल्यू० टी० के तीन प्रोडैक्ट टैंकर) (एन-बी०)	325.50
19.	30000 डी० डब्ल्यू० टी० के तीन प्रोडैक्ट टैंकर (एस० एच०)	167.40
20.	एस० पी० जी०/अमोनिया का एक कैरियर (एन-बी०)	139.50
21.	80000 सी० बी० एच० का एक एल० एन० जी० कैरियर (एस० एच०)	285.20
22.	4 कोम्बी वैसल (एस० एच०)	124.00
23.	1450 टी० ई० यू० के तीन कैटेनर वैसल (एन-बी०)	418.50
24.	47000 डी० डब्ल्यू० टी० के तीन बल्क कैरियर (एस०एच०)	167.40
25.	60-70000 डी० डब्ल्यू० टी० का एक बल्क कैरियर (एन० बी०)	108.50
26.	4 कोम्बी वैसल्स (एस०एच०)	124.00
27.	5 कोम्बी वैसल्स (एस०एच०)	155.00
28.	5 कोम्बी वैसल्स (एस०एच०)	155.00
पत्तन :		
29.	मद्रास में इन्नौर के स्थान पर अनुषंगी पत्तन (एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के जरिए)।	315.55
30.	2 कोयला बर्थों का हैंडलिंग सुविधाओं सहित निर्माण और थर्मल कोयले के लिए यंत्रीकृत हैंडलिंग सुविधाएं (एशियाई विकास बैंक कोयला परियोजना)।	354.00

पत्तन क्षेत्र के संबंध में की गयी प्रगति निम्न प्रकार है:

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	वास्तविक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)
पारादीप :				
1.	यंत्रीकृत हैंडलिंग सुविधाएं और दो कोयला बर्थों का निर्माण (ए डी बी सहायता प्राप्त)	587.41	निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	0.02
मद्रास :				
2.	इन्नौर में नए पत्तन का निर्माण	593.90	परामर्शदाताओं का चयन किया जा रहा है।	0.17

(ख) तथा (ग) जहां तक सड़क क्षेत्र का संबंध है, किसी परियोजना पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। जहां तक नौवहन क्षेत्र का संबंध है, केवल एक परियोजना शुरू की गयी है, जिसके लिए कोरिया के शिपयार्ड को आर्डर दिया गया है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा कोरिया के दो शिपयार्डों के साथ हस्ताक्षरित ठेके के अनुसार भारतीय नौवहन निगम को निम्न प्रकार पोतों की डीलिवरी की जाएगी:—

प्रथम पोत	31.08.94
दूसरा पोत.....	30.09.94
तीसरा पोत.....	30.11.94
चौथा पोत.....	31.03.95

"वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले"

2715. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) कितने मामलों में न्यायालयों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्रमशः पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध निर्णय दिये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राय प्रदूषण बोर्डों ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल प्रदूषण निवारण एवं (नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध 859 मामले दर्ज कराए हैं।

(ख) जिन 463 मामलों में न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए हैं उनमें से 248 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पक्ष में और 215 उनके विरुद्ध गए हैं।

Participation of Non-Governmental Organisations in Pollution Control Activities

2716. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be plaeased to state:

(a) whether it is a fact that Central Pollution Control Board has set up a cell for promoting the participation of Non-Governmental Organisations in pollution control activities; and

(b) if so, what are the details thereof and reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir. An NGO cell has been set up recently in the Central Pollution Control Board to encourage public participation in the work relating to control of pollution.

(b) The NGO Cell will coordinate the following tasks:

1. Enlist the Environmental NGOs involved in activities related to Pollution Control.

2. Establish NGO network in consultation with State Pollution Control Boards (SPCBs).

3. Provide training for the NGOs and equip them with facilities like water testing kits, analytical instruments, books and literatures, in order to enhance their capabilities in the field of pollution control; and

4. Organise mass awareness programmes and pollution control activities through NGOs.

The NGO Cell has been set up to act as a bridge between the Governmental Organisations and people for better implementation of the programme of pollution abatement.

Pact between India and Great Britain

2717. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any pact has been entered into by India with U.K. on Forestry recently; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b). India and the United Kingdom have signed a Memorandum of Understanding (MOU) on foresry issues on 13th September, 1993. This MOU recognizes the importance of the non-legally binding Forest Principles and the role of the Commission on Sustainable Development in implementing these Principles. The MOU also recognizes the position taken by several developing countries on forestry issues and reflected in the Delhi Declaration on Forests issued by the First Ministerial Conference of the Forestry Forum for Developing Countries on 3rd September, 1993. India and the UK are presently engaged in implementing the MOU, especially the clauses related to the review by the Commission on Sustainable Development of forestry issues in 1995, and the possibilities of increased bilateral cooperation.